2020/188

फर्द अहकाम

नाथूलाल बनाम गोविन्दा

नाम न्यायालय : सहायक कलक्टर, बस्सी

राजस्व वाद/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर : 8/22

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	23.12.2022.	पत्रावली पेश हुयी। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री विनोद शर्मा हाजिर। अप्रार्थी/~~प्रतिवादी~~ नाथूलाल की ओर से अधिवक्ता श्री रामगोपाल शर्मा हाजिर। प्रतिवादी/अप्रार्थी सं० 01 की ओर से अधिवक्ता श्री सतीश पारीक उपस्थित। प्रार्थी राजेश दत्तक पुत्र मंगला व कमली बेवा मंगला की ओर से अधिवक्ता श्री विनोद शर्मा ने इजराय प्रार्थना पत्र पर प्रतिवादीगण के अधिवक्ता से बहस की। दौराने बहस जाहिर तथ्यों व पत्रावली में उपलब्ध रिकॉर्ड का गहनतापूर्वक अवलोकन किया गया। जिससे स्पष्ट है कि 'नाथूलाल बनाम गोविन्दा' प्रकरण संख्या 49/2015 में विभाजन प्रस्ताव पर पक्षकारान की सहमति से दिनांक 04.07.2016 को अंतिम डिक्री जारी हुयी पत्रावली के अवलोकन से हम पाते हैं कि पत्रावली 'न्याय आपके द्वार' कैम्प में पेश होने के उपरान्त वादी एवं प्रतिवादीगण के सहमति प्रार्थना पत्र पर उभयपक्षकारान को सुना गया।

सहायक कलक्टर बस्सी जिला जयपुर

2020/00138

फर्द अहकाम

नाथूलाल बनाम गोविंदा

यालय : सहायक कलक्टर, बस्सी

द/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर : 8/22

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	तदनुसार ही न्यायालय द्वारा कुर्रेजात प्रस्ताव मंगवाए जाकर, कुर्रेजात रिपोर्ट पर उभयपक्ष को सुनने के पश्चात् वादी का वाद, अंतिम डिक्री किया गया है। दिनांक 04.07.2016 को पारित निर्णय व अंतिम डिक्री की पालना सम्बन्धित राजस्व अधिकारियों द्वारा की जा चुकी है, जो कि पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों से स्पष्ट है। उक्त निर्णय की पालना में राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज के साथ-साथ खाता व लगान अलग-अलग कायम किया जा चुका है। अतः अंतिम डिक्री की पालना के सम्बन्ध में इस न्यायालय में कोई कार्यवाही शेष/अपेक्षित नहीं है। यद्यपि नक्शे में तरमीम के लिए प्रार्थी सक्षम न्यायालय में दावा पेश कर सकता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र इजराय पोषणीय ना होने के कारण न्यायहित में खारिज किया जाता है। फैसला खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर बस्सी जिला जयपुर	